



ओ३म्

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

1. अगाऊ विश्वविद्यालय कार्यार्थ 2. अगाऊ कर्मचारी लेखा पुस्तक वर्ग
3. स्थिर अगाऊ 4. चिकित्सा अगाऊ (कृपया ✓ करें)
5. गेहूं अगाऊ 6. अनुरक्षण मद वर्गीय
 स्ववित्त पोषित वर्गीय
 अन्य (लिखें).....
- श्री कुलसचिव जी,

निवेदन है कि मुझे निम्न कार्य हेतु रु०.....की आवश्यकता है। कृपया धन देकर कृतार्थ करें। मैं उक्त धन का बिल एक मास के अन्दर उपस्थित कर दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो यह धन मेरे वेतन से काट लें। व्यय का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है।

कार्य का ब्यौरा

भवदीय

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता का नाम.....
पद/श्रेणी.....
विभाग.....
मो. नं.....

अग्रसारित

लेखा/स्थापना अनुभाग की टिप्पणी

धन () दे दें

(शब्दों में)

हस्ताक्षर

स्वीकृत

(अधीक्षक लेखा विभाग)

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

वाउचर सं०.....चैक सं०.....

कोषाध्यक्ष.....तिथि.....

टिकट

चिन्ह/हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता